Definitions

10. विक्रेता (Seller) –

According to Sec 2(13) Sale of Goods Act, 1930- विक्रेता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो माल बेचता है या माल बेचने का करार करता है।

11. माल को रास्ते में रोकने का अधिकार (Right of Stoppage in transit) –

भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 50 अदत्त विक्रेता के माल को मार्गगमन में रोकने के अधिकार की विवेचना करती है। जब विक्रेता ने माल को किसी वाहक या अन्य अपनिहिती को दे दिया है और क्रेता दिवालिया हो गया हो तब जब तक माल मार्ग में है विक्रेता उसे रोक सकता है। यह एक ढंग है जिससे एक अदत्त विक्रेता अपने माल को एक दिवालिया क्रेता के पास हस्तगत होने से बचा सकता है।

'पीलक' तथा 'मुल्ला' के अनुसार "मार्गगमन में रोकने का अधिकार एक साम्यिक (equitable) अधिकार है, जिसका प्रयोग केवल क्रेता के दिवालियापन पर होता है। यह-याथ और साम्या के इस सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी व्यक्ति का माल किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बिना भुगतान के प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

Lord Asher ने Bethel v. Fillur के वाद में कहा कि "जब विक्रेताओं को भुगतान न किया गया हो और

क्रेता गण दिवालिया हो गये हों तो वाणिज्य विधि के अनुसार विक्रेता को मार्ग गमन में माल को रोक देने का अधिकार होता है, चाहे माल का स्वत्व (Title) क्रेताओं को हस्तान्तरित क्यों न हो गया हो।

12. माल को मार्ग मे रोकने की शर्तें (Conditions for stoppage in Transit) –

According to Sec. 50 Sale of Goods Act, 1930 - क्रेता के दिवालिया होने की दशा में विक्रेता को यह अधिकार है कि वह माल गमन को रास्ते में रोक सकता है और माल को कब्जे मे लेकर भुगतान होने तक अपने पास रख सकता है। लेकिन इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए विक्रेता को निम्न लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(a) - विक्रेता को दाम न मिला हो अर्थात विक्रेता अदत्त (Unpaid) होना चाहिए।

(b) माल - मार्ग- गमन मे होना चाहिए।

(c) क्रेता दिवालिया हो गया हो।

(d) किसी अन्य विधि के अधीन विक्रेता इस अधिकार से वंचित न किया गया हो।

13. दोष (Defect) – दोष का अर्थ दोषपूर्ण कृत्य या चूक है. इसे मालविक्रय अधिनियम की धारा 2(5) में परिभाषित किया गया है।

14. सम्पत्ति (Property) – माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 (11) के अनुसार - सम्पत्ति का अर्थ सामान्य

सम्पत्ति से है न कि विशेष सम्पत्ति से।

15. दिवालिया (Insolvent) — माल-विक्रय अधिनियम की धारा 2(8) में यथा परिभाषित — कोई व्यक्ति दिवालिया तब कहा जाता है जब वह व्यापार के साधारण क्रम में अपने ऋणों का भुगतान बन्द कर दे अथवा ऋण देय हो जाने पर अदा नहीं कर सके।

16. माल का गुण (Quality of Goods) — माल-विक्रय अधि॰ 1930 की धारा 2(12) में इसे परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार —

'माल के गुण' के अन्तर्गत माल की स्थिति अथवा माल की दशा का ज्ञान सम्मिलित है।